प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 589 सन 2021

अनवान :–

1. सन्दीप कुमार पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. ओम प्रकाश पुत्र ईशर जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

3. शर्मिला पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
4. प्रदीप कुमार पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 18.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 164/10 की कुल 1.5810हैक्‍ भूमि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ,4 के नाम से दर्ज है। रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 12/10 की कुल 0. 4940हैक्‍ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है एवं दोनो पक्षकारों की भूमि एक दुसरे के चिपती हुई है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ,4 ने काश्त की सूविधा व सिचाई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति बाहमी बटवारा किया हुआ है जिसमें प०न० 340/372(21) की कुल 0.253हैक्‍ भूमि में से दक्षिण दिशा में पश्चिम की तरफ 6 बिश्वा(0.008) भूमि छोडकर व किला न० 22 मे पूर्व दिशा में 14 बिश्वा भूमि को छोडकर 0.005हैक्‍ कुल 0.013हैक्‍ भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के चिपते हुए है वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को दी है एवं उसके बदले में प०न० 340/373(59) के किला न० 1/2 की 0.1900 हैक्‍ में से 0.013हैक्‍ भूमि मिन पश्चिम की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी का दी हुई है इसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ,4 के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 3 ,4 ने निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ,4 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्त की सुविधा सिचाई एवं आने जाने के रास्ते को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया गया था जो वाद की मद संख्या 3 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3 ,4 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसीप्रकार का ऐतराज नही है व

व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ,3 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 164/10 की कुल 1.5810हैक्‍ भूमि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ,4 के नाम से दर्ज है। रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 12/10 की कुल 0.4940हैक्‍ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ,4 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्त की सुविधा सिचाई एवं आने जाने के रास्ते को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया गया था जो वाद की मद संख्या 3 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ,4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ,4 के बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 3 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है ।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 12/10 की कुल 0.4940हैक्‍ जो वादी संख्या 1 के नाम दर्ज है मे से प0न0 340/373(59) किला न01/2 की 0.1900हैक्‍ में से 0.013हैक्‍ मिन पश्चिम की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज को कलमजन की जाकर वादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे तथा रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 164/10 की कुल ह1.5810हैक्‍ में से 1/3 हिस्सा वादी जिसके प0न0 340/372(58) किला न0 21 की 0.253हैक्‍ में से दक्षिण दिशा में (पश्चिम की तरफ से 6 बिश्वा भूमि छोडकर 0.008हैक्‍ व किला न0 22 मे पूर्व दिशा में 14 बिस्वा भूमि छोडकर 0.005हैक्‍ भूमि कुल 0.013हैक्‍ भूमि वादी के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि में से कम की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
आदरण अधिकारी)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट –फेफाना

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सन्दीप कुमार पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 ओम प्रकाश पुत्र ईशर जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

3. शर्मिला पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
4. प्रदीप कुमार पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 589 सन 2021 निर्णय दिनांक– 18.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 12/10 की कुल 0.4940हैक जो वादी संख्या 1 के नाम दर्ज है मे से प0न0 340/373(59) किला न01/2 की 0.1900हैक में से 0.013हैक मिन पश्चिम की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज को कलमजन की जाकर वादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे तथा रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 164/10 की कुल ह1. 5810हैक में से 1/3 हिस्सा वादी जिसके प0न0 340/372(58) किला न0 21 की 0.253हैक में से दक्षिण दिशा में (पश्चिम की तरफ से 6 बिश्वा भूमि छोडकर 0.008हैक व किला न0 22 मे पूर्व दिशा में 14 बिस्वा भूमि छोडकर 0.005हैक भूमि कुल 0.013हैक भूमि वादी के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि में से कम की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.10.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट– फेफाना

Scanned with CamScanner